# निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 131/2017 तारीख दायरा 26.09.2017

उनवान

1. महेश उम्र 22 वर्ष पुत्र चन्द्रप्रकाश जाति धाकड निवासी ग्राम लालाहेडा
2. मनीष उम्र 20 वर्ष पुत्र चन्द्रप्रकाश जाति धाकड निवासी ग्राम लालाहेडा
3. कपिल उम्र 18 वर्ष पुत्र चन्द्रप्रकाश जाति धाकड निवासी ग्राम लालाहेडा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

– वादी

बनाम

1. चन्द्रप्रकाश पुत्र किशनगोपाल जाति धाकड निवासी ग्राम लालाहेडा तहसील सांगोद, कोटा।
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

– प्रतिवादी

<u>दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आर टी एक्ट</u>

उपस्थित :–

श्री बाबूलाल नागर (वकील वादी) दिनॉक :– 24.12.2020

श्री नाथूलाल नागर (वकील प्रतिवादी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.04.20 11:52:04 IST
Reason: SelfAttested

––निर्णय––

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी जरिये अधिवक्ता वाद आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण प्रतिवादी सं.1 के पुत्र हैं तथा वादीगण व प्रतिवादी सं.1 के मध्य पिता

पुत्र का रिश्ता है। वादी के पिता प्रतिवादी सं.1 के खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम लालाहेडा पटवार हलका मकडावद तह. सांगोद में खाता सं. नई 28 के खसरा न. 280 की 1.08है., ख.न. 282 की 0.90है. कुल 2 किता की कुल 1.98 है. आराजी स्थित है, जिसमें प्रतिवादी सं.1 का 2/5 हिस्सा निहित है। इसी प्रकार माल ग्राम देगन्या पटवार हलका श्यामपुरा तह. सांगोद में खाता सं. नई 26 के ख.न. 481 की 0.02है., ख.न. 483 की 1.94है. कुल 2 किता की कुल 1.96 है. आराजी स्थित है जिसमें प्रतिवादी सं.1 का 2/5 हिस्सा निहित है। इसी प्रकार माल ग्राम देगन्या पटवार हलका श्यामपुरा तह. सांगोद में खाता सं. नई 25 के ख.न. 483/1 की 3.86 है. आराजी स्थित है जो प्रतिवादी सं.1 के एकल खाते की आराजी है तथा वर्तमान राजस्व रेकार्ड अनुसार प्रतिवादी नं.1 के नाम दर्ज रेकार्ड है।

वादग्रस्त आराजी वादीगण के पिता प्रतिवादी न01 के खाते व कब्जे काश्त की आराजी है, जो प्रतिवादीन01 को वादीगण के दादाजी से उत्तराधिकार मे प्राप्त आराजी है, जो कि वादीगण की पुश्तेनी आराजी है, तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का उक्त वर्णित पुश्तेनी आराजी मे जन्म से ही हक व हिस्सा निहित है, तथा प्रतिवादी न01 के साथ साथ वादीगण भी बांट बराबर से हक व हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है।

प्रतिवादी न01 राजस्व रेकार्ड मे नाम दर्ज होने के आधार पर उक्त आराजी को अन्यत्र रहन बैय कर सकते है, तथा वादीगणा द्वारा प्रतिवादीन01 से वादीगण के उक्त आराजी मे निहित पुश्तेनी हिस्से की घोषणा वादीगण के हक मे करवाने की कहने पर भी तैयार नही हो रहे है, तथा टालम टूल कर रहे है, तथा वादीगण को अन्देशा है, कि वे राजस्व रेकार्ड मे नाम दर्ज होने का लाभ उठाकर उक्त आराजी को खुर्द कर सकते है, साथ ही वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही होने से वादीगण के नोशनल हिस्से की आराजी का विकास कार्य करवाने व कृषि ऋण आदि प्राप्त करने मे भी काफी परेशानी होती है, ऐसी स्थिति मे वादीगण के लिए आवश्यक हो गया है कि वह सम्मानीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर अपने [illegible] घोषणा करवावें।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन [illegible] प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न आशय की डिकी सादर पारित फरमायी जावे कि–

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.04.20 11:52:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

माल ग्राम लालाहेडा पटवार हलका मकडावद तहसील सांगोद मे खाता स0 नई 28 के खसरा न.280 की 1.08 हैक्टर, खसरा न.282 की 0.90 हैक्टर कुल 2 किता की 1.98 हैक्टर में निहित प्रतिवादीन.1 का 2/5 हिस्सा व माल ग्राम देगन्या पटवार हलका श्यामपुरा तहसील सांगोद मे खाता स0 नई 26 के खसरा न.481 की 0.02 हैक्टर व खसरा न.483 की 1.94 हैक्टर कुल 2 किता की 1.96 हैक्टर आराजी में निहित प्रतिवादीन.1 का 2/5 हिस्सा एवं माल ग्राम देगन्या पटवार हलका श्यामपुरा तहसील सांगोद में खाता स. नई 25 के खसरा न.483/1 की 3.86 हैक्टर, सम्पूर्ण आराजी वादीगण की पुश्तेनी आराजी होने से वादीगण को प्रतिवादीन.1 के साथ बांट बराबर से अर्थात 1/4–1/4 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जावें, तथा उक्त घोषणा के अनुक्रम मे इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई।प्रतिवादीन01 की ओर से वकील श्री नाथूलाल जी नागर एडवोकेट द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया, तथा वादी के वाद का समर्थन करते हुए वाद को डिक्री किये जाने मे अपनी सहमति प्रदान की गई। साथ ही प्रतिवादीन02 सरकार द्वारा भी अपना जवाब प्रस्तुत कर राजहित प्रभावित नही होने बाबत कथन करते हुए अपना जवाब प्रस्तुत किया, ऐसी स्थिति मे उक्त प्रकरण मे तनकी कायम किया जाना उचित नहीं है, पत्रावली में विध्यमान दस्तवेज और वादी द्वारा प्रस्तुत बयान शपथ पत्र का गहनता से अवलोकन किया गया, तथा बहस वकील वादी सुनी गई।

बहस वकील वादी सुनी जाकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन करने पर उक्त वाद को डिक्री किये जाने योग्य प्रतीत होने के कारण वादी का वाद डिक्री किया जाता है।

अतः वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि

माल ग्राम लालाहेडा पटवार हलका मकडावद तहसील सांगोद मे खाता स0 नई 28 के खसरा न.280 की 1.08 हैक्टर, खसरा न.282 की 0.90 हैक्टर कुल 2 किता की 1.98 हैक्टर मे निहित प्रतिवादीन.1 का 2/5 हिस्सा व माल ग्राम देगन्या पटवार हलका श्यामपुरा तहसील सांगोद

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.04.20 11:52:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

मे खाता स0 नई 26 के खसरा न.481 की 0.02 हैक्टर व खसरा न.483 की 1.94 हैक्टर कुल 2 किता की 1.96 हैक्टर आराजी में निहित प्रतिवादीन.1 का 2/5 हिस्सा एवं माल ग्राम देगन्या पटवार हलका श्यामपुरा तहसील सांगोद मं खाता स0 नई 25 के खसरा न.483/1 की 3.86 हैक्टर सम्पूर्ण आराजी वादीगण की पुश्तेनी आराजी होने से वादीगण को प्रतिवादीन.1 के साथ बांट बराबर से अर्थात 1/4–1/4 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा उक्त घोषणा के अनुकम में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में रहन भार मुक्त होने पर ही निर्णय की पालना की जावें। नियमानुसार डिकी मुर्तिब की जावें।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.04.20 11:52:04 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 24.12.2020 को खुले न्यायालय में लिखाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(अंजना सहरावत)
सांगोद जिला कोटा
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

फर्द डिक्री मुकदमात इब्तदाई

आर.रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 131 / 2017 तारीख दायरा 26.09.2017

उनवान

1. महेश उम्र 22वर्ष पुत्र चन्द्रप्रकाश जाति धाकड निवासी ग्राम लालाहेडा
2. मनीष उम्र 20वर्ष पुत्र चन्द्रप्रकाश जाति धाकड निवासी ग्राम लालाहेडा
3. कपिल उम्र 18वर्ष पुत्र चन्द्रप्रकाश जाति धाकड निवासी ग्राम लालाहेडा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान। – वादी

बनाम

1. चन्द्रप्रकाश पुत्र किशनगोपाल जाति धाकड निवासी ग्राम लालाहेडा तहसील सांगोद, कोटा।
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा राजस्थान। – प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आर टी एक्ट

उपस्थित :–

Signature Not Verified

श्री बाबूलाल नागर (वकील वादी) दिनांक :– 24.12.2020

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.04.20 11:52:04 IST
Reason: SelfAttested

श्री नाथूलाल नागर (वकील प्रतिवादी)

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

श्री नाथूलाल नागर (वकील प्रतिवादी)

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री बाबूलाल नागर मिन जानिब मुदई रूबरू श्री ..... मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि–

माल ग्राम लालाहेडा पटवार हलका मकडावद तहसील सांगोद में खाता स0 नई 28 के खसरा न.280 की 1.08 हैक्टर, खसरा न.282 की 0.90 हैक्टर कुल 2 किता की 1.98 हैक्टर मे निहित प्रतिवादीन.1 का 2/5 हिस्सा व माल ग्राम देगन्या पटवार हलका श्यामपुरा तहसील सांगोद मे खाता स0 नई 26 के खसरा न.481 की 0.02 हैक्टर व खसरा न.483 की 1.94 हैक्टर कुल 2 किता की 1.96 हैक्टर आराजी में निहित प्रतिवादीन.1 का 2/5 हिस्सा एवं माल ग्राम देगन्या पटवार हलका श्यामपुरा तहसील सांगोद मं खाता स0 नई 25 के खसरा न.483/1 की 3.86 हैक्टर सम्पूर्ण आराजी वादीगण की पुश्तेनी आराजी होने से वादीगण को प्रतिवादीन.1 के साथ बांट बराबर से अर्थात 1/4–1/4 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में रहन भार मुक्त होने पर ही निर्णय की पालना की जावें।

Signature Not Verified

निर्णय आज दिनांक 24.12.2020 को खुले न्यायालय में लिखा सुनाया गया।

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.04.20 11:52:04 IST
Reason: SelfAttested

(अंजना सहरावत)
साँगोद जिला कोटा
उपखण्ड अधिकारी सांगोद